## The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 119] No. 119] नर्ड दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

शृद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011

सा.का.नि. 196( अ ).—भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 112(अ), तारीख 25 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी के पृष्ठ 2 पर हिन्दी पाठ में पंक्ति 8 पर "खंड 7 में, दूसरे परंतुक" के स्थान पर "नियम 7 के खंड (ii)" पढें।

> [फा. सं. 2/8/2010-पीआई] डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th March, 2011

G.S.R. 196(E).—In the notification of the Government of India Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, vide No. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 2011, in page 2, in line 14, for "in clause 7, the second proviso", read "in rule 7, clause (ii)".

[F. No. 2/8/2010-PI]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Secy.